न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2022 / 39

मुकदमा नम्बर 28 / 2022

दायर दिनांक–17.01.2022

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मदनलाल जाति रैगर निवासी वार्ड नं. 2 गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
2. जोधाराम पुत्र रिछपाल जाति मेघवाल निवासी टोडी दुडिया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
2. मन्दिर मूर्ती श्री जगदीश जी जरिये कन्वीनर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री विप्लव पण्डित

वकील अनावेदकगण 1 व 2 – पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः– 19-11-2024.

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में नई खाता सं. 142 की भूमि खसरा नं. 294 रकबा 0.74 है0 में पहुँच के लिये अप्रार्थी सं. 12 की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में स्थित नई खाता सं. 333 की भूमि खसरा नं. 373 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 372 रकबा 0.42 है0 में से दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडाई का रास्ता जिसे प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे ए से बी बिन्दुओं से दर्शाया गया है अप्रार्थी सं. 12 से प्रार्थीगण को दिलाया जावे तथा रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेकगण की और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ से प्रकरण मे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उनके पत्रांक राजस्व / 2.24 / 373 दिनांक 28 / 5 / 2024 द्वारा प्राप्त हुई। पैरो.राज द्वारा अन्य कोई एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई ।

तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नं. 294 के खातेदार को अपनी जोत तक पहूँचने के लिये मौके पर 4 मीटर सीमेन्टेड सीसी सडक है जो ख.नं. 373, 372 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे जाती है। वर्णित भूमी ख.नं. 294 तक पहूँचने के लिये अन्य कोई लधुतम व निकटतम रास्ता नही है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। उक्त रास्ते मे जाने वाला रकबा खसरा नं. 373 में 48 मीटर x 4 मीटर = 192 मीटर तथा खसरा नं. 372 मे 27 मीटर x 4 मीटर = 108 मीटर होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुं.नूं)

Scanned with CamScanner

रास्ते मे जाने वाली कुल भूमि का रकबा 192+108=300 वर्ग मीटर बनता है। यह भूमि खसरा नं. 373,372 की खातेदारी मन्दिर श्री जगदीश जी वाके देह विराजमान हिस्सा पूर्ण दर्ज है। सीसी सडक बनी हुई है तथा रास्ता मौके पर चालू हैं ।

तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से जाहिर है कि, आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट भी है तथा आवेदक के पास अपनी जोत तक पहुॅचने हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार करता है तथा मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट राजस्व/2024/373 दिनांक 28/5/2024 तथा फर्द, नजरी नक्शे अनुसार राजस्व ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में नई खाता सं. 142 की भूमि खसरा नं. 294 रकबा 0.74 है0 में पहुॅच के लिये ख.नं. 373, 372 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नं. 373 में 48 मीटर X 4 मीटर = 192 मीटर तथा खसरा नं. 372 मे 27 मीटर X 4 मीटर = 108 मीटर मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कुल भूमि का 192 + 108 = 300 वर्ग मीटर रास्ता गै.मु. सिवायचक कायम कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट राजस्व/2024/373 दिनांक 28/5/2024 तथा फर्द नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डीएलसी की दो गुणा राशि जमा होने पर रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। डीएलसी दर की दोगुनी राशि प्रभावित खातेदारान/अनावेदकगण को दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक ....19-11-2024.... को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner